कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/युनिट कॉस्ट/18882/13–14/102 दिनांकः– 22.5.14

1. जिला शिक्षा अधिकारी
   प्रारम्भिक शिक्षा
   ....

2. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक,
   NIC केन्द्र, शासन सचिवालय,
   जयपुर।

विषयः–सत्र 2012–13 एवं 13–14 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के संबंध में पुनर्भरण से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण करने तथा सत्र 2013–14 की द्वितीय किस्त के भुगतान किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 14.05.14 को वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय हाजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा सत्र 2012–13 एवं सत्र 2013–14 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानान्तर्गत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के संबंध में पुनर्भरण से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण करने तथा सत्र 2013–14 की द्वितीय किस्त के भुगतान किये जाने के संबंध में निम्नानुसार गाइड लाईन तैयार की गई है, जो पालनार्थ प्रेषित है

1. आरटीई के अन्तर्गत सत्र 2013–14 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के संबंध में प्रथम किस्त के पुनर्भरण प्रक्रिया में जिन गैर सरकारी विद्यालयों के निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश भौतिक सत्यापन में सही पाये गये तथा विद्यालयों ने भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं क्लेम बिल भी पोर्टल पर अपलोड कर दिये परन्तु क्लेम बिल की हार्ड प्रति संबंधित डीडीओ को समय पर जमा नहीं करवाये जाने के कारण अथवा डीडीओ द्वारा भुगतान आदेश जारी नहीं किये जाने के कारण अथवा डीडीओ द्वारा भुगतान राशि का बिल बनाकर ट्रेजरी भिजवाने के बावजूद ट्रेजरी द्वारा 31.3.14 तक बिल पारित नहीं करने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका ऐसे विद्यालयों का संबंधित कार्यालय द्वारा दिनांक 15.6.14 तक पुनर्भरण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस संबंध में NIC द्वारा पास ऑर्डर जनरेट करने के लिए पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
2. जिन विद्यालयों का सत्र 2012–13 की प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त का पुनर्भरण विलम्ब से होने के कारण सत्र 2012–13 की प्रथम किस्त की पुनर्भरण राशि पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई, उन विद्यालयों की प्रथम किस्त की राशि संबंधित डीडीओ कार्यालय द्वारा 30.5.14 तक आवश्यक रूप से अपलोड कर दी जावे ताकि उन्हें सत्र 2013–14 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का पुनर्भरण ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा सके।
3. राज्य में 380 गैर सरकारी विद्यालय जिनके द्वारा जनरेट क्लेम बिल में पुनर्भरण योग्य राशि की मांग के बावजूद सत्र 2012–13 के लिए विद्यालय का शुल्क शून्य अपलोड होने के कारण पास ऑर्डर शून्य राशि का जारी हो गया। उन संस्थाओं का संबंधित डीडीओ भुगतान न होने का उचित कारण अंकित करते हुए उन विद्यालयों का(जिनका सत्र 2012–13 का शुल्क त्रुटि से शून्य अपलोड हो गया) पूरक बिल तैयार कर ट्रेजरी भिजवाकर भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में NIC द्वारा स्कूल आईडी से ऐसे विद्यालयों के लिए पूर्व में जनरेट पास ऑर्डर निरस्त कर पूरक पास आर्डर जनरेट किये जाने की व्यवस्था पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जावेगी।

4. जिन विद्यालयों को संबंधित विद्यालय अथवा संबंधित कार्यालय के कार्मिकों की लिपिकीय त्रुटि के कारण कम पुनर्भरण राशि प्राप्त हुई है उन विद्यालयों के संबंध में संबंधित डीडीओ द्वारा मांग की राशि नियमानुसार एवं सही होने का प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रस्तुत करने पर सत्र 2014–15 की प्रथम किस्त के साथ पूर्व की बकाया अन्तर राशि ऐरियर के रूप में भुगतान की जाएगी।

5. सत्र 2013–14 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण का मॉड्यूल NIC द्वारा पोर्टल पर डाला जायेगा जिसमें प्रथम किस्त में पुनर्भरण किये गये बालकों की सूची में से उन बालकों के नाम के आगे क्रॉस(x) का चिन्ह अंकित करने की व्यवस्था की जायेगी जो सितम्बर 2014 के बाद किन्हीं कारणों से विद्यालय छोड़ चुके हैं या ड्राप आउट हो गये हैं या जिनका देहान्त हो गया है। संबंधित विद्यालय द्वारा द्वितीय किस्त के लिए ऑन लाईन क्लेम बिल 15.6.14 तक जनरेट कर उसकी हार्ड प्रति संबंधित बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक/प्रारंभिक) कार्यालय में जमा करवाई जावेगी। संबंधित बीईईओ/ड़ीईओ (माध्यमिक/प्रारंभिक) द्वारा द्वितीय किस्त के पुनर्भरण राशि का भुगतान संबंधित विद्यालयों के खातों में 30.6.14 तक आवश्यक रूप से जमा करवाया जायेगा।

   द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु बजट आवंटन निदेशालय के बजट अनुभाग द्वारा सत्र 2013–14 की प्रथम किस्त की यूसी के आधार पर ऑनलाईन जारी किया जाएगा।

6. श्री गंगानगर जिले की सत्र 2012–13 की द्वितीय किस्त का भुगतान प्रथम किस्त में हुए अधिक भुगतान की राशि का समायोजन राज्य सरकार के पत्रांक प.9(1)शिक्षा–5/2010 पार्ट दिनांक 4.4.14 के अनुसार करते हुए मैनुअल किया जाए तथा निदेशालय के पत्र कमांक शिविरा/प्रारं/ आरटीई/युनिट कॉस्ट/18882/श्री गंगानगर/12–13/330 दिनांक 21.2.14 के साथ संलग्न प्रपत्र के कॉलम संख्या 13 में विद्यालयवार अंकित विद्यालयं की वार्षिक शुल्क के आधार पर सत्र 2013–14 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान किया जावे। इस संबंध में NIC द्वारा श्री गंगानगर जिले के लिए सत्र 2012–13 की विद्यालयवार शुल्क की संशोधित प्रविष्टि का प्रावधान पोर्टल पर ऑफिस लॉग–ईन में करने की व्यवस्था की जावेगी।

उक्त समस्त प्रकार के भुगतान करते समय संबंधित ड़ीडीओ द्वारा आरटीई के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

sd/-
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि बिन्दु संख्या 1 से 6 की पालना माध्यमिक शिक्षा के अधीनस्थ कार्यालयों में सुनिश्चित करावें।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा........................को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करावें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर